मुकदमा संख्या 23/2025
अनवान:– गंगाराम बनाम पूनमाराम
निर्णय तारीख:– 25.06.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
25.06.2025	प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि मौजा मारूखेड़ा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचोर में प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता सं. 86 के खसरा नम्बर 364 रकबा 2.68 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। जिसमे मुझ प्रार्थी का 1/4 हिस्सा यानि 0.67 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्जसुदा कब्जासुदा खातेदारी का आया हुआ है। जो संलग्न जमाबंदी संवत 2076 संवत 2079 से प्रमाणित है। इस प्रकार प्रार्थी का मौके पर उक्त हिस्से अनुसार अलग कब्जाकाश्त है तथा माठे कायम है। प्रार्थी के बंट हिस्से की जमीन में मौके पर वर्षो पुरानी रहवासी ढाणी, कुएं एवं पानी का टांका वगैरा स्थित है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग काश्त वगैरा कदीमी से करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त दर्ज होने से प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड लेने, कृषि कनेक्शन लेने व अन्य सरकार अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण बहामी व भौतिक तौर से किये गये बंटवाड़े ना–मुर्कर होकर सहमति का बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नहीं रहते है तथा आए दिन वाद–विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त एवं दर्ज हिस्से अनुसार अलग–अलग खेती बाड़ी करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मालिकाना हक हकूक की खातेदारी व कब्जा उपयोग की भूमि है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि को अवैध व गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर प्रार्थी के हक हकूक एवं कब्जाकाश्त की भूमि मे अतिक्रमण कर रखा है तथा कच्चा पक्का निर्माण करनें, उसे नुकसान पहुंचानें व अन्य तरीके से संक्रान्त किया जाकर कर वादग्रस्त भूमि में बल पूर्वक हिस्से से अधिक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि मौजा मारूखेड़ा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचोर में प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता सं. 86 के खस[illegible]4 रकबा 2.68 हैक्टर की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि में प्र[illegible] कब्जाकाश्त खातेदारी अधिकार में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा [illegible] करे तथा जमीन के विशेष भू भाग पर जबरन प्रवेश कर अति[illegible]ण करे, न ही कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें व करावें तथा प्रार्थी को बेदखल नही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या 23 / 2025
अनवानः— गंगाराम बनाम पूनमाराम
निर्णय तारीखः— 25.06.2025

करें तथा न ही खेती बाड़ी वगैरा करने पर अवरोध पैदा करे तथा किये गये अतिक्रमण से आगे से आगे अतिक्रमण नहीं करे एवं कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। उक्त कृत्य अप्रार्थी न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से करावें। मूल वाद से अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें। मैंने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मारूखेड़ा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचोर के खसरा नम्बर 364 रकबा 2.68 हैक्टर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक इस अमर जाहिर की जाती है कि उभय पक्षकारान् राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबंर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, सांचौर

(सहायक कलक्टर, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner